न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 41/12

1. जयवीर पुत्र नन्दलाल जाति जाट निवासी रामसरातील राजगढ़ चुरू

....वादी

बनाम

1. सतारखां पुत्र अमरखां जाति मुसलमान निवासी 23 केवाईडी तहसील खाजूवाला
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आर.टी. एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :– 21.11.22

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी को तहसील खाजूवाला का चक 23 केवाईडी बी का मु0नं0 79/01 व 79/02 में कुल 32.13 बीघा क0/अ0क0 कृषि भूमि तत्कालिन सक्षम आवंटन अधिकारी द्वारा पुख्ता आवंटित है, जिसपर वादी आवंटन के दिन से ही काबिज काश्त था। ब रिहाईश के लिए ढ़ाणी बना रखी थी। उक्त कृषि भूमि की समस्त किश्ते जमा करवाने के उपरान्त दिनांक 04.07. 2011 को वादी को खातेदारी सनद भी जारी हो चुकी है। वर्ष 2010 अप्रैल से वर्ष 201 तक (दो वर्ष) के लिए वादी ने अपनी खातेदारी भूमि मु0नं0 79/02 का किला नं0 5,6,15,16,25 में 3.13 बीघा कमाण्ड व किला नं0 1 ता 4 की 04.00 बीघा अ0क0 कुल 7.13 बीघा क0/अ0क0 कृषि भूमि मौखिक रूप से 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादी सं0 1 को काश्त पर दी थी। वर्ष 2011 में वादगत उक्त कृषि भूमि में करीबन की आम दो फसलों को मिलाकर एक लास हुई थी, मैं मेरे मूल गांव गया हुआ था। जब में वापिस आया व अपने हिस्सा की फसल आम मांगी तो सतार ने कहा कि अब तो मेरे से रूपये खर्च हो गये है। अगले वर्ष की फसल पर मैं आपको हिसाब करके रूपये अदा कर दूंगा। प्रतिवादी सं0 1 ने मेरी खातेदारी भूमि को तो काश्त कर ही रखी है। इसके अलावा इसी मु0नं0 79/02 में बची हुई वनविभाग की भूमि पर भी अवैध रूप से काश्त कर रखी है। इस वर्ष अप्रैल माह में मैं मेरी उक्त कृषि भूमि की फसल का हिस्सा लेने सतारखां के पास आम फसल करीबन 1,25,000 रूपये की विक्रय हुई थी। जिसमें मेरा 1/2 हिस्सा था मैने मेरे हिस्सा की राशि मांगी तो उसने मेरे हिस्सा की राशि मुझे देने से मनाकर दिया व मेरी अनुमति के बिना करीबन एक बीघा में हराचारा उसने (प्रतिवादी सं0 1) बीज रखा है। तो मैने प्रतिवादी सं0 1 से पूछा की मेरी बिना अनुमति के वादगत भूमि में चारा की बिजाई क्यों की तो उसने कहा की मुझे तुम्हारी भूमि कब्जा करना था सो कर लिया अब मैं ना तो तुम्हारी भूमि से कब्जा खाली करूंगा व ना ही तुम्हारी फसल का हिसाब दूंगा। मैने किसी तरह किसी व्यक्ति से सांठ–गांठ करके इस खातेदारी भूमि का फर्जी पट्टा जारी करवा लिया है। अब तुम्हारे से जो कार्यवाही होती है करते रहो। सतारखां बदमाश एवं आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, वादी उससे बलपूर्वक अपनी कृषि भूमि का कब्जा छुड़वाने में असमर्थ हूँ। इसलिए वादी, प्रतिवादी के विरुद्ध बेदखली का वाद लाकर न्यायालय की शरण में आया हूँ। वादी की

खातेदारी भूमि चक 23 केवाईडी बी के मु0नं0 79/02 का किला नं0 5,6,15,16,25 में 3.13 बीघा कमाण्ड व किला नं0 1 ता 4 की 04.00 बीघा अ0क0 कुल 7.13 बीघा क0/अ0क0 कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 को बेदखल किया जाकर कब्जा भूमि वादी को सुपुर्द किया जावे। प्रतिवादी सं0 1 ने दो वर्ष की फसल के 1/2 फसल की राशि प्रतिवादी सं0 1 से दिलाई जावे।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को नोटिस जारी उपरान्त हाजिर नहीं। तहसीलदार खाजूवाला के जवाब अनुसार वादी जयवीर पुत्र नन्दलाल कौम जाट निवासी रामसरा तहः राजगढ़ खातेदार के नाम चक 23 केवाईडी बी के मु0नं0 79/1 में 24.08 बीघा भूमि व मु0नं0 79/02 में 7.13 बीघा भूमि जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 दर्ज रिकॉर्ड है। भूमि खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादी सं0 1 सतारखां पुत्र अमनखां जाति मुसलमान द्वारा चक 23 केवाईडी बी का मु0नं0 79/02 की 7.13 बीघा पर जो रिकॉर्ड के अनुसार वादी के नाम दर्ज है। किला नं0 5 में ढ़ाणी व कुंड बना कर कब्जा कर रखा है।

पत्रावली व तहसीलदार खाजूवाला जवाब/रिपोर्ट अध्ययन अवलोकन किया गया। चूंकि वादी वादगत भूमि का खातेदार है। अतः वादी का वादपत्र धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे आंशिक स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी सं0 1 को आदेश दिया जाता है कि वह (प्रतिवादी सं0 1) वादी के वादगत भूमि पर अवैध अतिक्रमण नहीं करें। तहसीलदार खाजूवाला उक्त आदेश की नियमानुसार पालना करवावें एवं प्रतिवादी सं0 1 दुबारा वादी के रकबे में जबरदस्ती प्रवेश कर दुबारा अवैध अतिक्रमण का प्रयास करें तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें । पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)